

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in ,

Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 470 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, अगस्त, 19 2019
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरौ,
पौड़ी-गढ़वाल।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में
नौलापुर-खेतू-केदारगली-कोणागाड़-घोडियाणा-बीरौखाल मोटर मार्ग के निर्माण
हेतु 2.43 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को
प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0-एफ.पी./यू.के./रोड़/16722/2015)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट
कॉलोनी, देहरादून की पत्र सं0-1221/FP/UK/ROAD/16722/2015 दिनांक
20.10.2016 एवं इस कार्यालय की पत्र सं0- 1325/12-1, दिनांक 27.10.2016
तथा आपकी पत्र सं0- 1042/14 सी0, दिनांक 26.06.2019 एवं पत्रांक 1194/14
सी0, दिनांक 23-07-2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि
हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,
देहरादून की पत्र सं0-08बी0/यू0सी0पी0/06/130/2016/एफ0सी0/1131, दिनांक
19-10-2016 से कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 क-596/3-5-2, दिनांक 19.08.2015 के क्रम में निर्धारित दरों
पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि, मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त
पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण व 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का
डिमाण्ड नोट आपको पूर्व में इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2016-17 की निर्धारित
दरों के अनुसार प्रेषित किया गया। लेकिन आपके द्वारा डिमाण्ड नोट की धनराशि वर्ष 2016-17
में जमा न करते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 में जमा की गई है। जिसके कारण उक्त मदों की
संशोधित धनराशि का डिमाण्ड नोट वर्ष 2019-20 के निर्धारित दरों के अनुसार पुनः प्रेषित किया
जा रहा है। जो कि निम्नानुसार है:-

1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि	-	2.43X 2=4.86 है0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0	-	₹ 3,06,531.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	-	4.86X 3,06,531.00 = 14,89,740.66
		या ₹ 14,89,741.00

(₹ चौदह लाख उन्नबे हजार सात सौ इक्कतालीस) मात्र

पूर्व में जमा की गई धनराशि = 11,19,268.00

अवशेष धनराशि जो अब जमा की जानी है ₹0 14,89,741.00-11,19,268.00 = 3,70,473.00

(₹0 तीन लाख सत्तर हजार चार सौ तिहत्तर) मात्र

(2)

2- मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण-

1- आरक्षित वन भूमि की लम्बाई	-	0.00 कि०मी०
2- वन पंचायत भूमि की लम्बाई	-	1.65 कि०मी०
3- सिविल सोयम भूमि की लम्बाई	-	1.05 कि०मी०
मोटर मार्ग की वन भूमि में कुल लम्बाई	-	2.70 कि०मी०

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की दर प्रति कि०मी० = 4,59,610.00

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि- 2.70x4,59,610.00

रु० 12,40,947.00

(रु० बारह लाख चालीस हजार नौ सौ सैंतालीस) मात्र

पूर्व में जमा की गई धनराशि रु० 9,32,342.00

अवशेष धनराशि जो अब जमा की जानी है- रु० 12,40,947.00 - 9,32,342.00 = 3,08,605.00

(तीन लाख आठ हजार छः सौ पांच) मात्र

3- एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

ईको क्लास	-	V th
हरियाली का घनत्व	-	0.2
एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	₹ 6,57,000.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	2.43 है०
एन०पी०वी० की धनराशि	-	2.43 X 6,57,000.00
		= ₹ 15,96,510.00

(₹ पन्द्रह लाख छियानबे हजार पांच सौ दस) मात्र

एन०पी०वी० की उक्त धनराशि रु० = ₹ 15,96,510.00. (₹ पन्द्रह लाख छियानबे हजार पांच सौ दस) मात्र आपके द्वारा पूर्व में ही जमा की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधित धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह रावत)

उप वन संरक्षक,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 470 / 12-1 दिनांकित ।

1-प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

3-प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(लक्ष्मण सिंह रावत)

उप वन संरक्षक,

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।